# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

## अमर उजाला–दि0 27.05.2025

### वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

**वाराणसी।** वीडीए ने सोमवार को अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। सिकरौल वार्ड के अटेसुआ में अज्ञात की ओर से बिना ले आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। पूर्व में नोटिस दिया गया था। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और अवर अभियंता रोहित कुमार की देखरेख में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

## न्यायाधीश–दि0 27.05.2025

### अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल, मौजा-अटेसुआ में अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 130र्से140स्र के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया त अतः आज दिनांक 26/05/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

## ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 27.05.2025

### जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–सिकरौल, मौजा–अटेसुआ में अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 130द्व×140द्व के

क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले–आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया द्य अत: आज दिनांक 26/05/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी द्य मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

## राष्ट्रीय सहारा–दि0 27.05.2025

### वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

**वाराणसी।** वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-एक वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि वार्ड-सिकरौल, मौजा-अटेसुआ में अज्ञात की तरफ से बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग किये जाने पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्रवाई की गयी थी लेकिन प्लाटिंगकर्ता की तरफ से ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। इस पर अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।